हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 10 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अक्टूबर, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में रिव्यू डीपीसी मामला

जातिगत आधार पर की जा रही रिव्यू डीपीसी रोकी जाए: समता आन्दोलन

किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पद पर पदोन्नति देना न्यायपालिका के आदेश का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है भारतीय दण्डसंहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने परिवहन मंत्री राजस्थान सरकार, आयुक्त परिवहन, चैयरमन राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये अजा/अजजा कार्मिकों के पक्ष में रिव्यू डीपीसी करके सामान्य/ओबीसी वर्ग के निष्ठावान कर्मठ कार्मिकों को अविधिक नुकसान पहुंचाये जाने से रोकने का अनुरोध किया है।

पत्र में लिखा गया कि हम आपकी जानकारी में यह तथ्य लाना चाह रहे है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अजा/अजजा के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारीगण आपस में अविधिक साठगाठ करके जातिगत आधार पर रिव्यू डीपीसी करने के बहाने सामान्य/ओबीसी वर्ग के कर्मठ एवं निष्ठावान कार्मिकों के साथ जातिगत आधार पर अन्याय एव अत्याचार करने पर आमादा है। आप यह भली प्रकार जानते हैं कि किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर किसी भी सेवा-संवर्ग में चयनित होने वाले या पदोन्नति पाने वाले अजा/अजजा कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने की कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन है, संवैधानिक प्रवधानों का उल्लंघन है, ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के पात्र एवं कर्मठ लोकसेवकों के साथ अन्याय है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 166 एवं 167 के अधीन दंडनीय अपराध है। दुर्भाग्य से राज्य राज्य पथ परिवहन निगम के कुछ जातिवादी अधिकारी अविधिक बाह्य कारणों से प्रेरित होकर पात्र एवं योग्य ओ.बी.सी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों की पूर्व में की गई पदोन्नतियां रिव्यू करके उनके पदों पर अपात्र एवं अयोग्य अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नतियां कर रहे हैं। सामान्य लोक-प्रशासन में भ्रष्टाचार, अत्याचार, जातिवाद, एवं अकार्यकुशलता को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

-:: ज्ञापन की प्रमुख बातें ::-

*** राज्य सरकार द्वारा रोस्टर रजिस्टर संधारण के लिए जारी की गई अधिसूचना के अनुसार एक बार रोस्टर में अजा/अजजा के लिए आरक्षित रोस्टर पॉइन्ट आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों से भर जाने के बाद रिप्लेसमेंन्ट सिद्धान्त को लागू किया जाना अनिवार्य है। अत: अजा/अजजा के रोस्टर पाइंट भर जाने के बाद आरक्षण का लाभ लेकर सेवा में आये अजा/अजजा के किसी भी लोकसेवक को सामान्य/ओबीसी वर्ग के रोस्टर पाइंट्स पर किसी भी सूरत में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है।

*** आदेश दिनांक 11.09.2011 में यह सुनिश्चित किया गया कि कहीं भी किसी सूरत में अजा/अजजा के लोकसेवकों की संख्या उनके रोस्टर पाइंट से अधिक नहीं हो।

*** राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.07.2017 के अनुसार आरक्षित वर्ग का कोई भी कर्मचारी यदि फीस के अलावा किसी भी स्तर पर कोई भी आरक्षण का लाभ या छूट प्राप्त कर लेता है तो वह किसी भी सूरत में कभी भी सामान्य पद पर पदस्थापित नहीं किया जा सकता है।

*** नियुक्ति के समय आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा के कार्मिकों को परिणामिक वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई भी प्रवधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में नही है।

*** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा K. Manorama Vs. Union of India (UOI) and Ors. के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि आरक्षित वर्ग के लिए Own Merit or Own seniority anorama का सिद्धांत किसी सेवा में प्रवेश (Recruitment) के समय सामान्य पद पर आने के लिए ही लागू हो सकता है। आरक्षित सीट पर चयनित होने वाले कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नत करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

*** आरक्षण का लाभ लेकर किसी सेवा में चयनित हो कर प्रवेश पाने वाले आरक्षित वर्ग के कार्मिकों को यदि सामान्य पदों पर पदोन्नति दी जाती है तो यह उनके निश्चित कोटे से अधिक हो जायेगा जो excessive reservation और reversediscrimination होने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान पीठों द्वारा इन्द्रा साहनी के प्रकरण में, एम. नागराज के प्रकरण में रोहिताश भाँखर के प्रकरणो में, जरनैल सिंह एवं अन्य के प्रकरण में बार बार मना किया गया है।

*** आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुऐ कार्मिकों को उच्च पदों पर अजा/अजजा रोस्टर बिन्दुओं के भरे हुऐ होने के बावजूद सामान्य पदों पर पदोंन्नति देने का सीधा सा मतलब है कि इन अजा/अजजा कार्मिकों की नियुक्ति उस कैडर विशेष/सेवा विशेष में अजा/अजजा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अथवा पूरा कोटा होने के बावजूद आधिक्य अथवा excessive reservation के रूप में कि गई है जिसका राज्य सरकार को कोई संविधानिक या विधिक अधिकार नहीं है।

*** यह सर्वविदित संवैधानिक तथ्य है कि नियुक्तियों या पदोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान केवल एक समर्थनकारी प्रावधान (enabling provision) हैं जो केवल अजा/अजजा के उस कैडर/सेवा विशेष में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर ही राज्य को उन्हें आरक्षण देने का अधिकार प्रदान करता है अन्यथा नहीं।

पत्र में न्यायिक निर्णयों, विधिक प्रावधानों, संवैधानिक प्रावधानों एवं तथ्यात्मक स्थिति की जानकारी देते हुये अनुरोध किया गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में जातिवादी उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा अविधिक रूप से रिव्यू डीपीसी करते हुये सामान्य/ओबीसी वर्ग के निष्ठावान, कर्मठ कार्मिकों के साथ जो अन्याय एवं अत्याचार किया जा रहा है उसे तत्काल रूकवाने की कृपा करे। किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लेकर चयनित होने वाले अजा/अजजा वर्ग के कार्मिकों को सामान्य पदों पर पदोन्नति को सख्ती से रोका जाये। उपरोक्त प्रावधानों को सख्ती से लागू करवाया जाये। जो अजा/अजजा के कार्मिक या उच्चस्थ अधिकारीगण सामान्य पदों पर पदोन्नति के लिए उपरोक्त प्रवधानों का उल्लन्घन करते हुए किसी भी प्रकार प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावे। उनकी नियुक्ति के समय अजा/अजजा वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के बावजूद उन्हें अविधिक रूप से आरक्षण का लाभ देकर नियुक्त किये जाने के कारण इनकी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही की जावे। कर्मठ एवं समर्पित ओबीसी/सामान्य वर्ग के कार्मिकों के साथ लगातार अन्याय जारी है। पत्र में कहा गया कि आप अपने स्तर पर संज्ञान लेकर सामान्य/ओबीसी कार्मिकों को तत्काल न्याय दिलवाने की कृपा करें। यदि आप राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं परिवहन विभाग मुख्यालय में तैनात अजा/अजजा वर्ग के उच्चस्थ अधिकारियों की अविधिक कारगुजारियों पर रोक लगाने में असफल रहते है तो हमें मजबूर होकर उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा, विधिक कार्यवाही को मजबूर होना होगा। जिसके जिम्मेवारी आपकी होगी।

अध्यक्ष की कलम से

राजऋषि नरेन्द्र मोदी

साथियों,

भारत देश में आजादी के बाद अनेक नेता हुये। उनमें से पं. जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और आज के नरेन्द्र मोदी तीन ऐसे नेता रहे हैं जो अपने अकेले दम पर सरकार बनाकर उसे सफलतापूर्वक चलाने के लिए वर्तमान और इतिहार में जाने जायेंगे।

इन तीनों में से भी नरेन्द्र मोदी विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। सभी को ध्यान है कि मोदी जी ने पार्टी के भीतर की कलह को शांत करने का अनूठा तरीका निकाला और घोषणा करवा दी कि इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव बिना चेहरे के लड़ा जायेगा। वे स्वयं बागडोर संभालेंगे। अधिकांश सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन चेहरा वे भी नहीं होंगे। चेहरा होगा ''कमल का फूल''।

नरेन्द्र मोदी की सत्ता के प्रति असंगता और निरपेक्षता के चलते ही भाजपा झंडे गाढती आ रही है। यह उन्हीं का कमाल है कि उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर कोई भी गंभीर आरोप नहीं हैं। वे राजनीति करते तो हैं लेकिन करते हुए दिखाई नहीं देते । उनका यही कौशल उन्हें विशेष और अलग बनाता है।

सबको याद है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद निर्णय आने से पहले नरेन्द्र मोदी पूरी बेफिक्री के साथ हिमालय की गुफा में ध्यानमग्न बैठे रहे। वो भी तीन दिनों तक। और परिणाम प्रचण्ड बहुमत का। उनकी ये निसंगता उनके आत्म विश्वास को प्रकट करती है। जिसे देख समझकर कोई भी राजऋषि ही मानेगा।

जय समता

सम्पादकीय

अभी भोंथरा है जन अधिकार ''नोटा''

लोकतंत्र का कालजयी होना इसलिये संभव है कि यह तंत्र लगातार संशोधित होते रहने की क्षमता अपने भीतर ही रखता है। स्वयं की परीक्षा बार-बार लेता लोक का तंत्र संभवत: दुनिया को भारत के प्राचीन सिस्टम गणतंत्र से मिला था। उसी का आधुनिक रूपान्तरण है आज की पंचायती राज व्यवस्था।

व्यवस्था कोई भी हो उसमें समयानुसार कुछ न कुछ खामियॉ घर बना ही लेती हैं। जैसे कि भारत में जातीय व्यवस्था धीरे-धीरे करके पूरे लोकतंत्र पर हावी होती चली गई। ऐसी और भी बहुत सी ऋणात्मक बातें हैं जो लगातार व्यवस्था को दूषित करने, उसे खंडित बनाने का हेतु बनना चाहती हैं लेकिन लोकतंत्र की सजीव व्यवस्था में उसका भी विकल्पप खोज निकाला जाता है। क्योंकि वास्तव में ये सारी ऋणात्मक खामियॉ भी असंदिग्ध रूप से लोकभावना का ही प्रकटीकरण होती है। अत: विकल्प भी लोक इच्छा के अनुसार ही ढूंढा और लागू किया जाता है। ऐसा ही एक विकल्प है ''नोटा'' ।

वस्तुत: वोट नहीं देना और नोटा का प्रयोग इन दोनों में बुनियादी अन्तर ये है कि वोट नहीं देना एक अनैतिक कर्म है, अपराध जैसा है। जबकि ''नोटा'' वोट देकर भी नहीं देने का संतोष देने वाली विधिक व्यवस्था है। नॉन ऑफ द अबव अर्थात ''नोटा'' का प्रयोग 2013 में शुरू हुआ और 2014 में पहली बार राज्यसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया गया।

जैसे-जैसे जात का जहर लोकतंत्र को खोखला करता गया वैसे-वैसे जन का विश्वास नेताओं और पार्टियों से भटकने लगा। जब देश के मास्टर ब्रेन समझे जाने वाले लोगों ने इसका विकल्प तलाश किया ''नोटा'' । हालांकि अभी दस सालों से इसका प्रयोग करना और वोट नहीं देना दोनों समानार्थक है क्योंकि ''नोटा'' की गिनती मत के रूप में नहीं करके मात्र एक असहमति के रूप तक सीमित है। हालांकि चुनाव आयोग की यह व्यवस्था संविधान सम्मत है या नहीं इसकी व्याख्या होना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। फिर भी लोकमानस में पार्टियों ने यह बैठा दिया है कि ''नोटा'' का प्रयोग अपना वोट खराब करने जैसा है।

मौटेतौर पर ''नोटा'' को वोट खराब करना की श्रेणी में रखना एक राजनैतिक चतुराई है जिसके विरोध में सामाजिक और जनसेवी संगठनों को सक्रिय होना चाहिये था लेकिन दैवयोग से पूरे भारत की सैंकड़ों संस्थाओं में से केवल समता आन्दोलन ने इसका विधिवत प्रयोग किया था। उसके परिणाम भी संतोषप्रद थे। लेकिन वह आगे बढ नहीं पाया।

राजस्थान की बात करें तो 2018 के आम चुनाव में कुल चार लाख अडसठ हजार मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया था जो कुल मतदाताओं का एक प्रतिशत से भी कम है। इसमें भी सोच समझकर ''नोटा'' बटन दबाने वालों की गिनती और भी कम हो सकती है। फिर राजनैतिक पार्टियों को चौकन्ना कर देने के लिए यह राई के दाने जैसा प्रयोग भी बहुत प्रभावी रहा। जिस दिन नोटा क प्रयोग तीन प्रतिशत तक पहुंच जायेगा उस दिन ये संभव है नोटा को वोट की मान्यता मिल जाये।

नोटा एक ऐसा नकार है जिसे सार्वजनिक स्वीकृति दिलवाने के लिए प्रयास किया जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। देश के वे सभी नागरिक जो जनहित याचिकाएँ लगाते हैं और वे सभी सामाजिक जनसेवी संगठन जो देश की विषमताओं का विरोध करते है को चाहिये कि वे नोटा को अनुत्पादक नकार की सीमा से बाहर निकालकर इसे ''वोट'' का अधिकार दिलवाऐं। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

अंधेर नगरी चौपट राजा

पिछले 73 सालों से आरक्षण के मामले में कुछ ऐसा ही हो रहा है।

समस्या यह है कि जिसको आरक्षण दिया जा रहा है, वो सामान्य आदमी बन ही नहीं पा रहा है। किसी व्यक्ति को आरक्षण दिया गया और वो किसी सरकारी नौकरी में आ गया। अब उसका वेतन 10,000 से 50,000 व इससे भी अधिक है, पर जब उसकी संतान हुई तो वह भी पिछडी व गरीब ही पैदा हुई। उसका जन्म हुआ प्राइवेट अस्पताल में- पालन पोषण हुआ राजसी माहौल में- पढाई हुई कॉन्वेंट स्कूल, कॉलेज में। फिर भी वह गरीब, पिछडा, अत्याचार का मारा ही रहा? उसका पिता लाखों रूपये सालाना कमा रहा है तथा उच्च पद पर आसीन है। सारी सरकारी सुविधाएं ले रहा है। फिर भी सरकार..... उसे पिछडा मान रही है। सदियों से अत्याचार का शिकार मान रही है। आपको आरक्षण देना है, बिलकुल दो। पर उसे नौकरी देने के बाद तो ...सामान्य बना दो। वह गरीबी और पिछडा, दलित आदमी होने का तमगा कब तक सीने पर लगाये घूमेगा। यह आरक्षण कब तक मिलता रहेगा उसे? वाह रे मेरे देश का दुर्भाग्य।

यहाँ की प्रतिभाऐं देश से पलायन कर रही हैं ओर अयोग्य लोग आरक्षण के दम पर शासन कर रहे हैं। फिर बातें करते हैं सबका साथ सबका विकास

जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछडे ही रह जाये, गरीब ही बने रहे, ऐसे असफल अभियान को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। जिस आरक्षण रूपी अभियान से कोई आगे ही नहीं बढ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नही तो और क्या है?

सुशासन की, किसी को यह नजर ही नहीं आ रहा, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा ही महसूस हो रहा है।

जिस आरक्षण से उच्च पदस्थ अधिकारी, मंत्री, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर भी पिछडे ही रह जाये, गरीब ही बने रहे, ऐसे असफल अभियान को तो तुरंत बंद कर देना चाहिए।

जिस आरक्षण रूपी अभियान से कोई आगे ही नहीं बढ रहा हो उसे जारी रखना मूर्खतापूर्ण कार्य नही तो और क्या है?

तत्काल प्रभाव से प्रमोशन में आरक्षण तो बंद होना ही चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है और संविधान की मर्यादा भी।

हम में से कोई भी आरक्षण के खिलाफ नहीं, पर आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। आरक्षण देना है तो उन गरीबों, लाचारों को चुन चुन के दो जो बेचारे दो वक्त की रोटी को मोहताज हैं.....चाहे वे अनपढ ही क्यों न हो। चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सेक्युरिटी गार्ड- कैसी भी नौकरी दो।

हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना ही होगी। हमें आपत्ति है कि आरक्षण का लाभ अब उनके ही वर्ग के ऐसे लोग जो संम्पन्न हो चूके है लगातार ले रहे हैं और उनके वर्ग के ही गरीब लोगों का हक मार रहे हैं। अत: अब समय आ गया है कि इसकी समीक्षा की जावे व वास्तविक जरूरतमंद को लाभ दिया जावे।

कमजोर वर्ग को मुख्यधारा में लाना सरकार व हम सभी का सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व भी है। परन्तु भरे पेट वालों को बार-बार 56 व्यंजन परोसने की यह नीति बंद होनी ही चाहिए।

जिसे एक बार आरक्षण मिल गया, उसकी अगली पीढियों को सामान्य मानना चाहिये और आरक्षण का लाभ जरूरतमंद को ही मिलना चाहिये।

आरक्षण - अप्राकृतिक

आरक्षण एक भेदभाव पूर्ण तथा अप्राकृतिक सोच है। जो कि समस्त ब्रह्मांड में, सिर्फ अपने ही भारत देश में संविधान के बदौलत पाया जाता है। बाकी पूरे ब्रह्मांड में इसका (आरक्षण) कहीं भी, कोई दूसरा उदाहरण मौजूद नहीं है। क्योंकि प्रकृति ऐसे भेदभाव पूर्ण और अप्राकृतिक नियमों को स्वीकृति नहीं देती। कभी भी किसी प्राकृतिक घटना में आरक्षण लागू करना सम्भव नहीं है।

जैसे-भूकंप आने पर, ये संभव नहीं है कि कोई जाति विशेष या वर्ग के लोग प्राथमिकता के आधार पर पहले बाहर सुरक्षित निकल आये। उसके बाद ही बाकी और लोग निकल पाये। प्रकृति में कहीं भी ऐसा संभव नहीं है। असीम सत्य यह है कि सबसे पहले सुरक्षित बाहर वही निकलेगा जो सबसे काबिल और तेज होगा। न कि जो आरक्षित वर्ग का होगा। इस असीम सत्य को कागज पर, किसी द्वारा कुछ लिखने से भी बदला नहीं जा सकता। इसी प्रकार बाढ के तेज बहाव में, तैर के बाहर वही निकल पायेगा जो सबसे अच्छा तैराक होगा। न कि आरक्षित वर्ग वाला। और इसी प्रकार कुस्ती में वही विजयी होगा जो सबसे ज्यादा बलवान है, न कि संविधान के आधार पर कोई आरक्षित व्यक्ति। यही बात हर जगह लागू होती है। चाहे दौड हो, तैराकी हो, पहलवानी हो या निशानेबाजी हो। जीतेगा वही जो सबसे योग्य होगा।

यह प्रकृति का नियम है। जबसे सृष्टि बनी है। लाखों, करोडों साल से चला आ रहा। पर सारे ब्रह्मांड में, सिर्फ अपने देश में बेहतरीन संविधान के बदौलत अयोग्य को ही, योग्य माना जाता है। समझ में नहीं आता, इस देश में हम अपनी किस्मत पर रोए या देश के संविधान पर। ये सत्य पता नहीं क्यों, देश के नेताओं को समझ में नहीं आता कि प्रकृति के नियम को, किसी के द्वारा, एक कागजी किताब में कुछ लिख देने से बदला नहीं जा सकता। जो लोग ऐसा सोचते है, उन्हें शायद प्रकृति की ताकत का अंदाजा नहीं, वे लोग बहुत बडी गलतफहमी में है। इस बात पर किसी को, कोई शंका नहीं होना चाहिये कि ये जो आरक्षण की कागजी व्यवस्था (संविधान) है, यह पूर्णतया अप्राकृतिक है, एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है। ऐसी किसी की भी व्यवस्था को जो प्रकृति एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध है, उसका दुनिया में कोई भविष्य या वजूद नहीं हो सकता। प्रकृति इतनी ताकतवर है कि, ऐसी अप्राकृतिक कागजी व्यवस्था को, जब चाहे नष्ट कर सकती है।

परन्तु जब तक ये आरक्षण की, अप्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध व्यवस्था देश में लागू है। हमारा मानवीय कर्श्रव्य बनता है कि जैसे भी हो सके इसके विरोध में और प्रकृति एवं नैसर्गिक न्याय के हित में जो भी संभव हो उसे तन मन और धन से धर्म मान कर निरंतर करते रहे।

हमारे और देश के उत्थान का यही सबसे उश्रम मार्ग प्रतीत होता है।

अज्ञात- सोशल मीडिया से आभार

पौराणिक कथन : ''रूद्र''

सृष्टि निर्माण के शुरू में ब्रह्मा की भवों से उत्पन्न देवता जो भूत, प्रेत, पिशाच के जनक माने गये हैं।

न्याय पालिका का असमंजस,
संविधान की रीत नहीं है ।
जातिवाद का शोर शराबा,
दिखता है पर प्रीत नहीं है ।।

कविता

फिर मत कहना.....

फिर मत कहना,
कहा नहीं था।
अंधकार को
सहा नहीं था।।
आजादी के उजियारे पर,
हर कानूनी गलियारे पर,
जातिवाद के अंधियारे पर,
मानवता ने कहा सही था।
फिर मत कहना,
कहा नहीं था।
अंधकार को
सहा नहीं था।।
सात समुन्दर सारी नदियॉं,
थकी हुई सब बीती सदियॉं,
अधुनातन की बढती नदियॉं,
जो था अब तक बिना वही था।
फिर मत कहना,
कहा नहीं था।
अंधकार को
सहा नहीं था।।
सुनो यार सब गौरव -गरिमा,
बिना भाव की लधिमा-गणिमा,
सांसों की कब बनती प्रतिमा,
आशा संकुल यही कहीं था।
फिर मत कहना,
कहा नहीं था।
अंधकार को
सहा नहीं था।।
बहुत लुटी है मनस धरोहर,
धुन: चाहिये आज मनोहर,
बोल रहा है देखो हर घर,
आसमान यूँ नहीं जमीं था ।
फिर मत कहना,
कहा नहीं था।
अंधकार को
सहा नहीं था।।

-- योगेश्वर --

पूर्व अनिवार्यताएँ

गतांग से आगे-

यह सब हमें खतरे में डालनेवाला है ।

स्वतंत्रता, विकास और न्याय की कई पूर्व अनिवार्यताएँ हैं, लेकिन भाषण की स्वतंत्रता जैसा महत्वपूर्ण अन्य कोई नहीं है । भाषण की स्वतंत्रता के जरिए ही गलत धारणाओं, मंतव्यों पर चोट की जा सकती है और इस प्रकार गलत नीतियों को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन साथ ही, यह भी जरूरी है कि लोग भाषण को पर्याप्त महत्व दें, ताकि गलत नीतियाँ लाइसेंस- कोटा राज की तरह लंबे समय तक बनी न रह सकें । भाषणों को भी तार्किक आधार पर पुष्ट किया जाना चाहिए ।

इस प्रकार सार्वजनिक बहस में गुणवत्ता लाना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है । और इसके लिए भी सबसे बडी अनिवार्यता है - साहस, बुद्धिमतापूर्वक सामना करने का साहस । साथ ही थोडी सी हठधर्मिता की भी आवश्यकता है, ताकि हम अभिमानी प्रवृति से बाज आ सकें और हर मामले की गहराई से जाँच कर सकें । आखिर हमारे देश का भविष्य परिणाम पर ही तो निर्भर है ।

जब जातिवाद का जहर एक बार देश रूपी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो धीरे - धीरे वह पूरे शरीर (यानी देश) में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है और इस प्रकार लगातार आधुनिकीकरण की ओर बढ रही अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएगी कि उसकी मरम्मत कर पाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उस स्थिति में शुरूआती बुराइयों, जिनके बारे में हमने ऊपर पढा -का इलाज कर पाना हमारी क्षमता से बाहर हो जाएगा । लेकिन यदि होता भी है तो 'इतिहास को एक सहायक देने' के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं । सार्वजनिक बहस के स्वरूप में सुधार लाना हम सभी के लिए आसान है । हम वैकल्पिक संवैधानिक व्यवस्था तलाश करके वंचितों को सहायता पहुँचाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं ।

उन वैकल्पिक व्यवस्थाओं को हम सार्वजनिक बहस में संचरित कर सकते हैं । हम उन झूठे दावों एवं मंतव्यों को चोट पहुँचा सकते हैं, जिनका सहारा लेकर हमारी संस्थाओं की गुणवत्ता के स्तर को लगातार गिराया जा रहा है । हममें से हर कोई एक-एक संस्था-क्षेत्र को चुनकर उसमें बेहतरी लाने के लिए काम कर सकता है । इसी तरह हममें से हर कोई एक -एक मामले और एक -एक नीति को लेकर उस पर बहस के स्वरूप में सुधार ला सकता है ।

'धम्मपद' हमें जो शिक्षा देता है, वह हमारे समाज और हमारी संस्थाओं तथा सरकारी मामलों के एक -एक पहलू के संदर्भ में उपयुक्त है - जैसे चाँदिया (चाँदी के आभूषण बनानेवाला) चाँदी की अशुद्धता को दूर करता है, उसी तरह बुद्धिमान मनुष्य अपने भीतर की बुराइयों या अशुद्धताओं को दूर करता है - एक-एक करके, थोडा-थोडा करके, बार-बार करके।

- समाप्त

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

अटल और अनम्य

* किसी एक वर्ग को छूट या ढील देने के बाद दूसरा वर्ग, और फिर तीसरा वर्ग भी, इस तरह की माँग करने लगता है और इस माँग पर वह अटल भी हो जाता है।

* किसी एक क्षेत्र में लागू होने के बाद यह व्यवस्था कैंसर की तरह अन्य क्षेत्रों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर देती है।

* एक के बाद दूसरे वर्ग अथवा एक के बाद दूसरे क्षेत्र तक पहुँचते-पहुँचते इसकी मौलिकता का स्तर तेजी से गिरता चला जाता है ।

* इस प्रकार दी जानेवाली छूटें धीरे धीरे एक अधिकार बन जाती हैं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं रह जाती ।

* एक बार यदि कोई ढील दे दी गई या किसी अर्हता - शर्त में छूट दे दी गई तो वह फिर कभी वापस नहीं ली जा सकती।

* इस प्रकार अस्थायी अपवाद के रूप में लागू किया जानेवाला प्रावधान मूल प्रावधान को ढक लेता है, जो पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेता है।

कुछ भी हो, यदि किसी भी धर्मग्रंथ का कोई भी अंश प्रतिष्ठा या पेशे को जाति से जोडने की बात करता हो तो उसे त्याग देना चाहिए । यदि जाति, जन्म, रंग के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में भेद करने की बात की जाती है तो हमारे धर्म के मौलिक सिद्धांत पर प्रहार होगा, जिसके अनुसार सभी जीवों में एक आत्मा होती है और वह सभी में एक जैसी होती है ।

नौकरी एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जिसे प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास करना पडे । नौकरी किसी का अधिकार नहीं बननी चाहिए । लेकिन आरक्षण के कारण माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि नौकरी और पदोन्नति किसी जाति-वर्ग विशेष का अधिकार बन गई है। ऐसे में कोई आधुनिक समाज कैसे बचा रह सकता है? प्रगति करने की तो बात ही अलग है ।

ए. परियाकरूप्पन मामले में स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि आरक्षण किसी के निहित स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए । शोषित कर्मचारी संघ मामले में भी न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण नीति की सफलता की कसौटी यही होगी कि कितनी जल्दी आरक्षण की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है ।

निसंदेह पिछड़ों का उत्थान किया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में उन्हें दी जाने वाली मदद अलग तरह की होनी चाहिये। यह ऐसे सकारात्मक उपाय के रूप में होनी चाहिये जो उनके स्तर को ऊपर उठा सके और उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में मदद कर सके। नौकरियों में अर्हता-स्तर गिराकर या उनके लिए अलग से पद/सीटें रोककर उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए ।

जाति जनगणना बनेगा चुनावी मुद्दा ??

पांच प्रदेशों की विधानसभा चुनावों का केन्द्रीय मुद्दा एकदम बदलता दिख रहा है। पहले जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ओबीसी के मुद्दे को हवा दे रही थी वहीं अब राहुल गांधी की अति सक्रियता के कारण जातिगत जनगणना चुनावों का मूल मुद्दा बनता प्रतीत होता है। हांलाकि ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे मूलत: बिहार से उठे है लेकिन I.N.D.I.A. गठबंधन के बाद कांग्रेस के सुर भी साथ सुनाई देने लगे है। जबकि तथ्य ये है कि ओबीसी आरक्षण के मूल मंडल आयोग की सिफारिशों को कांग्रेस ने कभी भी लागू नहीं किया और 2013 की जनगणना जाति के आधार पर कांग्रेस ने ही करवाकर उसे संसद से ''गोपनीय'' खाते में डलवा दिया।

जाति जनगणना का विरोध वर्तमान में केवल भाजपा कर रही है क्योंकि वह जानती है कि विगत 75 सालों में उनका कथित सवर्ण वोट बैंक भयंकर रूप से कम हुआ है। इसके अलावा उसे ये भी डर है कि इस जातीय जनगणना से दलित, ओबीसी और मुस्लिम का गठजोड़ बन सकता है जो उसके हिन्दुत्व के एजेण्डे पर भयंकर चोट मारेगा।

लेकिन, इस मुद्दे पर राहुल गांधी की सोच आर-पार जैसी दिखाई देने लगी है। हालांकि शुरू में उनका झुकाव ओबीसी मुद्दे पर था। परन्तु तेलंगाना की ओबीसी जातियों ने 125 में से 34 सीटों की मांग की तो कांग्रेस को फुट-बैक होना पड़ा और बस, राहुल गांधी की सुई जातिगत जनगणना पर अटक गई है। ठीक वैसे ही जैसे रफाल पर अटकी थी। अब वे अपनी हर मीटिंग में इस मुद्दे को जरूर उठाते है। बल्कि इसे आक्रामकता की धार देते हुये अब आदिवासियों के सम्मान से जोड़ कर एक सर्वथा अव्यवहारिक बहस शुरू करते हुये कहा कि ओबीसी के अधिकारी सौ रूपये में से 5 रूपये तक निर्णय लेते है जबकि जनजाति के अधिकारी मात्र 10 पैसे के बारे में निर्णय करते है।

कौनसा मुद्दा चुनाव में कहां तक फलीभूत होगा ये तो दिसम्बर तक साफ हो जायेगा, लेकिन देश में राजनीति की दशा और दिशा क्या रहेगी यह एक गंभीर प्रश्न है।

भरतपुर में भी आयोजित हुई संभागीय कार्यकारिणी कार्यशाला

भरतपुर। समता आंदोलन संभाग भरतपुर की कार्यकारिणी की कार्यशाला का आयोजन हाल ही भरतपुर में किया। इसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर के जिला और तहसील के अध्यक्ष,सचिव, ग्राम पंचायत, नगर निगम क्षेत्र के वार्ड अध्यक्ष एवं सचिव ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रतिभागियों का परिचय करौली जिला अध्यक्ष देवी सिंह राजावत ने दिया। उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण का लाभ एक बार ही मिले उसके बाद उसी वर्ग के दूसरे वंचित लोग इस लाभ के अधिकारी बने। संविधान समानता की बात करता है लेकिन संसद विधानसभा में समतावादी राष्ट्रवादी लोगों के हितार्थ चर्चा ही नहीं होती। और ना ही कोई ठोस योजना बनाई जाती है। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिये।

भरतपुर जिला अध्यक्ष केदार नाथ पाराशर ने भरतपुर जिले का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सभी

तहसील एवं शहर कार्यकारिणी से अपील की कि ग्राम पंचायत व वार्ड वाइज कमेटियों का गठन करे। विभिन्न प्रकोष्ठों को दायित्व सौंपे। आगे उन्होंने युवाओं से कहा कि वे समता आन्दोलन के सिद्धान्त को समझे, नीतिपत्र को बार-बार पढे, समता आन्दोलन की चर्चा हर समाज राजनैतिक स्तर पर उठाये। संभाग अध्यक्ष हेम राज गोयल ने संभाग का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर जिला अध्यक्षों को एक-एक हजार टार्गेट दिया और कहा कि नियमित बैठकें करें। शुभनेश पाराशर एडवोकेट ने कहा सभी राजनैतिक दल तुष्टीकरण की नीति अपना रहे है व सामाजिक विद्वेष फैला रहे है।

जातिगत जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही है तो 1947 आधार वर्ष रखना होगा अन्यथा समता वादी समाज के प्रति अन्याय होगा। महेश जति ने कहा कि सभी समाज के लोग समता आन्दोलन से जुड़। युवा प्रकोष्ठ के संभाग अध्यक्ष योगेश शर्मा ने कहा कि हम चिड़िया की समुद्र सुखाने की चेष्ठा की भांति प्रयास कर रहे है, निश्चित रूप से हम सफल होगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि प्रजातंत्र में प्रजा राजा है व लोकसेवक प्रजा के सेवक है। जबकि उलटा हो रहा है। सेवक राजा बन कर प्रजा की उचित सेवा नहीं कर रहे है। उन्होंने समता आन्दोलन के संगठनात्मक ढांचे पर प्रकाश डाला व पदाधिकारियों के दायित्व बोध पर चर्चा की। समता ज्योति पत्रिका के मासिक प्रकाशन व उसकी उपलब्धता पर भी चर्चा की गई।

शैक्षिक प्रकोष्ठ के संभाग अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने सभी का आभार प्रकट किया।। कार्यक्रम में पल्लवी शर्मा, शहर अध्यक्ष सुनील बंसल, जिला सचिव दिलिप कुलश्रेष्ठ, मनीष गुप्ता, विष्णु गर्ग, अनिल गर्ग, राकेश शर्मा, डा. महेश लबानिया, गिरधारी लाल गुप्ता, अरविन्द शर्मा, सुभाष पाराशर, विष्णु शर्मा, मनीष सोनी, राजेन्द्र पाराशर, विवेक गुप्ता, जगदीश प्रसाद, अशोक पाराशर, देव कुमार गौड आदि उपस्थित रहे।

मंच संचालन केदार नाथ पाराशर ने किया।

तिरोहित होता जाति आरक्षण !!!

कुछ भी कहना आसान नहीं है। लेकिन संकेत बहुत साफ हैं कि देश जाति आरक्षण के जुए को उतार फैंकने वाला है। इसका कारण राजनैतिक पार्टियों की दूरदृष्टि हो या समय की मांग। लेकिन, इन दिनों प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया से जाति आरक्षण से संबंधित खबरे देखने, पढने को प्राय: नहीं मिलती है। यू भी लगता है कि जैसे एट्रोसिटी एक्ट भी लगभग निष्प्रभावी हो गया है।

भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई नौ-दस साल पहले कहा गया था कि वे आरक्षण को समाप्त तो नहीं करेंगे लेकिन इसे अप्रभावी अवश्य बना देंगे। शायद! वे अपने बचन को पूरा कर चुके है। दूसरे समता आन्दोलन के अध्यक्ष ने जिस तरह बार-बार वीडियो संदेश जारी करके जनमानस को बताया कि एट्रोसिटी एक्ट मे सीधे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों आया फैसला भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा गया है कि जिस अपराध में सात साल तक जेल की सजा हो सकती हो केवल उसी में गिरफ्तारी की जावे।

जाति आरक्षण को लेकर कथित राजनैतिक दलों को भी साधुवाद दिया जा सकता है जिन्होंने एससर-एसटी के नये नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं दिया। यहां यह भी कहा जा सकता है कि जाति आधारित राजनीति करने वाले नेताओं के निजी स्वार्थ ने भी नये नेतृत्व को उभरने का मौका नहीं दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि दिसम्बर तक जिन पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आयेंगे वे इस मुद्दे को हमेशा के लिए यादों की बारात बना दें।

रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए : समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने महामहिम राष्ट्रपति महोदया, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग एवं साामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करके सार्वजनिक किये जाने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में निवेदन किया है कि ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.रोहिणी की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31 जुलाई 2023 को माननीया राष्ट्रपति महोदया को सौप दी है। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि दो माह व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आज तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक नहीं किया गया है। रोहिणी आयोग का गठन ओबीसी के उपवर्गीकरण हेतु सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में लोक प्राधिकारी को ऐसी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु बाध्य किया गया है। जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कम से कम अवलंब लेना पड़े। आयोग द्वारा अभी तक रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उल्लंघन है।

अत: रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तत्काल सार्वजनिक किया जाये।

प्रसार भारती के कार्यक्रम कार्मिकों एवं अधिकारियों को पदोन्नत किया जाए: समता आन्दोलन

समता आन्दोलन समिति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को पत्र लिखकर प्रसार भारती के कार्यक्रम कार्मिकों को पदोन्नति दिये जाने का अनुरोध किया है। पत्र में लिख कि प्रसार भारती में प्रसारण निष्पादक एवं कार्यक्रम निष्पादक के पदों पर 08 वर्ष पहले सीधी भर्तियाँ की गई थी। लेकिन आज तक इन दोनों सेवा संवर्गों में कोई पदोन्नतियाँ नहीं की गई हैं। अभियांत्रिकी एवं प्रशासनिक संवर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की पदोन्नतियाँ लगातार नियमानुसार की जा रही हैं। लेकिन कार्यक्रम विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ बिना किसी कारण के नहीं की जा रही हैं।

पत्र में लिखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाने वाली ''मन की बात'' जैसे महत्वपूर्ण मासिक कार्यक्रम में कार्यक्रम कार्मिकों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रहती है। यदि निजी क्षेत्र में चलने वाले प्रसार माध्यमों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में मजबूत और मुखर रूप से स्थापित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त करना है तो यह कार्यक्रम अधिकारियों की गुणवत्ता, कार्यकुशलता और कर्मठता बनाये रखे बिना सम्भव नहीं है। अत: तुरन्त पदोन्नतियाँ की जाए।

''आरक्षितों को अब महसूस हुई अनारक्षितों की मन पीड़ा ''

जाति आरक्षण से पीड़ित अनारक्षित वर्ग का युवा दुखी और परेशान था कि अधिक अंक आने पर भी उन्हें सीट क्यों नहीं मिली। अब आरक्षित वर्ग के युवा भी यही पीड़ा लेकर हाईकोर्ट तक पहुंचे है। हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के ज्यादा अंक होने के बावजूद भी अंतरिम वरीयता सूची में शामिल नहीं करने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव व निदेशक को जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता सहित ओबीसी व एससी-एसटी के उन अभ्यार्थियों को शामिल नहीं किया गया जिनके ज्यादा अंक थे।

समता ज्योति मासिक अखबार के निरंतर प्रकाशन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ
9214055495
डॉ. नवाजुल हक़
पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय,मंजू, अजमेर
* प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इण्डिया यूनानी तिब्बी काँग्रेस, राजस्थान
* पूर्व प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी महासंघ, राजस्थान
* न्यूट्रीशियन एण्ड वैलनेस एडवायज़र
बी-141,चन्द्रवरदाई नगर, अजमेर (राज.) 305003

SIGMA DECORE Rishta Gharo Se...
9694501234
Email :sigmadecore@gmail.com
web : wwwsigmadecore.com
PVC Interior Designing
Home & Office Interior
Building Contractor
Sanitary ware
All Kinds of Tiles
S-21 Haribhau Upadhy Nagar, ajmer 305001 (Raj.)

समता ज्योति मासिक अखबार के निरंतर प्रकाशन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ
8829025556
9119349191
आशीर्वाद सेल्स
1/36,पंचशील नगर, अजमेर (राज.)

।। श्री गणेशाय नमः ।।
समता ज्योति मासिक अखबार के निरंतर प्रकाशन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ
तुलसी सोनी डूलानी मो. 9829029647
संजय खानवानी मो. 9166795512
चन्द्रप्रकाश सोनी मो. 9672727455
सिद्धि विनायक प्रोपर्टीज़ एण्ड बिल्डर्स
मकान, दुकान, प्लॉट, बंगला, फार्म हाऊस आदि खरीदने व बेचने हेतु सम्पर्क करें
एस-15,हरिभाउ उपाध्याय नगर, केसर स्वीट के पास, अजमेर

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in